



बरेली छावनी परिषद्

बंगला नं० 54, सरपेनटाइन रोड
बरेली छावनी (उ० प्र०) पिन-243001
दूरभाष : 0581-2421127 || ईमेल : ceobare-stats@nic.in
“हर काम, देश के नाम”



पत्र संख्या : सीबीबी / नीलामी / शहद / एसएस / 2021

दिनांक: 26 मार्च, 2021

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय छावनी परिषद बरेली में निम्नांकित ठेके की सार्वजनिक नीलामी निम्नवत् दर्शायी गयी तिथि व समय पर की जायेगी।

क्रम सं०	ठेके का विवरण	नीलामी की तिथि	समय	अग्रिम/धरोहर राशि	अवधि
01.	शहद निकालने का कार्य:- समस्त छावनी क्षेत्र	03.04.2021	पूर्वाहन 11:30 बजे	रु० 2,500/-	01 वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)

2. इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नीलामी/बोली में समिलित होने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार को कैन्ट बोर्ड कार्यालय में पंजीकरण शुल्क रु० 250/- जमा कराना होगा। बोली में समिलित होने से पूर्व क्रम सं० 01 में दर्शित अग्रिम धरोहर राशि नकद जमा की जायेगी एवं नीलाम में बोली लगाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार/एजेन्सी को आवश्यक दस्तावेजों पैन कार्ड, पिछले 01 वर्ष का बैंक खाता स्टेटमैंट की प्रति, वोटर आईडी०/आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशनद्व प्रस्तुत करने होंगे उसके उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में वह भाग ले सकता है।

3. उच्च बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरंत नकद जमा करवाना अनिवार्य है।

4. नीलाम से सम्बन्धित नियम व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

(विवेक सिंह)

(Vivek Singh)

मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
बरेली छावनी परिषद
Bareilly Cantonment Board

प्रतिलिपि:-

01. कार्यालय नोटिस बोर्ड

| नेटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

02. कम्यूटर प्रोग्रामर

| कृपया उक्त नीलामी सूचना कैन्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कैन्टोनमैन्ट बोर्ड बरेली

सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित शर्तें

शहद निकालने का कार्य

ठेके की अवधि – 01 वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)

01. कैन्टोनमैन्ट बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत, सूचीबद्ध ठेकेदार/व्यक्तिगण/एजेन्सी आदि नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
02. नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पहले पंजीकरण शुल्क ₹0 250/- एवं निर्धारित अग्रिम धनराशि ₹0 2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) जमा करनी होगी। निर्धारित अग्रिम धनराशि असफल बोलीदाता को नीलामी पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी और सफल बोलीदाता की रोक ली जायेगी। उच्चतम बोलीदाता को पूरी रकम का 50% धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा करना होगा शेष 50% धनराशि सक्षम प्राधिकारी/कैन्ट बोर्ड/मुख्य अधिशासी अधिकारी की मन्जूरी के पश्चात् निर्धारित नियम व शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति पत्र में वर्णित अवधि के अन्तर्गत जमा कराना होगा अन्यथा सम्बन्धित नीलामी/ठेका निरस्त कर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. उच्चतम बोली बोलने वाले की अग्रिम धनराशि ₹0 2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) नीलामी की कुल बोली/जमानत राशि में समायोजित कर ली जायेगी एवं असफल बोली बोलने वाले की उपरोक्त अर्नेस्ट मनी नीलामी प्रक्रिया के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
03. सफल बोलीदाता को देय आयकर/टैक्स, शुल्क, फीस, जी०एस०टी० आदि निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कैन्ट बोर्ड कार्यालय अथवा सम्बन्धित विभाग को समय से भुगतान करना होगा और किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
04. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को नीलामी की धनराशि का 10% जमानत के रूप में जमा करना होगा।
05. नीलामी लेने वाला व्यक्ति ठेके को आगे Sublet नहीं करेगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेके के दौरान ठेकेदार की मृत्यु हो जाने पर, ठेकेदार के कानूनी उत्तराधिकारी/साझेदार उक्त अनुबंध को कैन्ट बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ समान शर्तों पर जारी रख सकते हैं।
06. नीलामी लेने वाले व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म को कैन्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ - पैन कार्ड, पिछले 01 वर्ष का ब्लैक खाता स्टेटमेंट की प्रति, वोटर आईडी०/आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, प्रस्तुत करना होगा।
07. नीलामी लेने वाला व्यक्ति/ठेकेदार यदि सरकारी सम्पत्ति/वस्तुओं इत्यादि को क्षति पहुँचाता है तो उसकी समस्त क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड, बरेली द्वारा जो भी धनराशि क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित की जाती है उसको ठेकेदार को निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
08. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका अन्तिम निर्णय मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड बरेली के पास सुरक्षित है।
09. नीलामी की मंजूरी कैन्ट बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा होगी।
10. मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड, बरेली को बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार या पुनः नीलाम करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. अन्य वे सभी शर्तें जो नियमानुसार होगी उनको लागू करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता/कैन्ट बोर्ड को है।
12. किसी भी नियम/शर्त के उल्लंघन करने पर एवं किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी को उक्त संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड बरेली द्वारा जारी किसी भी नोटिस या निर्देशों का ठेकेदार/संविदाधारक द्वारा पालन न करने की स्थिति में अनुपालन के समय तक प्रतिदिन ₹0 500/- का जुर्माना, ठेके को समाप्त किया जा सकता है, ₹००८०३००१०/सिक्योरिटी को जब्त किया जा सकता है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और/या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
13. संविदा की समय सीमा स्वीकृति पत्र में वर्णित अवधि के अनुसार 01 वर्ष (2021-2022) हेतु ही होगी जिसको सक्षम प्राधिकारी/कैन्ट बोर्ड की अनुमति के अनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।
14. उक्त संविदा की समय सीमा को विस्तारित करने का अधिकार कैन्ट बोर्ड/मुख्य अधिशासी अधिकारी को होगा। समय सीमा का विस्तार न होने पर संविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी।
15. ठेकेदार/संविदाधारक को उक्त संविदा का एग्रीमेंट/अन्डरटेकिंग हेतु निर्धारित धनराशि/उचित मूल्य का स्टाम्प पैपर प्रस्तुत करना होगा।
16. सफल बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित/वांछित आयकर भी कार्यालय में जमा करना होगा एवं उक्त ठेके नीलामी के बावत किसी अन्य विभाग, संस्था को देय कर, शुल्क, फीस आदि को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित विभाग को समय से भुगतान की जिम्मेदारी भी नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी और किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. पेड़ पर चढ़कर शहद निकालते/तोड़ते समय आपको स्वयं सुरक्षा उपकरण रखने होंगे एवं अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। आपकी स्वयं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपका ही होगा, कैन्ट बोर्ड किसी भी प्रकार की जान-माल/दुर्घटना का जिम्मेदार नहीं होगा।
18. ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा/उसके कर्मचारियों द्वारा केवल पेड़ पर चढ़कर शहद ही निकाला जायेगा उनके द्वारा पेड़/पेड़ के टहनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और किसी भी प्रकार के पेड़ का अनाधिकृत कटान नहीं किया जायेगा।
19. ठेके की अवधि में लेवर, कर्मचारी आदि से विवाद की स्थिति में कैन्ट बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जान-माल की हानि होने पर कैन्ट बोर्ड कार्यालय या उसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
21. इस अनुबंध के निष्पादन से कैन्टोनमैन्ट बोर्ड या कैन्टोनमैन्ट बोर्ड के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या तीसरे पक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्षति/चोट के सम्बन्ध में लागू सभी दावों के निस्तारण की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
23. ठेकेदार अनुचित व्यापार, सार्वजनिक उत्पीड़न में लिप्त नहीं होगा और यदि कैन्ट बोर्ड कार्यालय/मुख्य अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में आता है/रिपोर्ट किया जाता है तो कैन्ट बोर्ड कार्यालय/मुख्य अधिशासी अधिकारी इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होंगे और ठेकेदार को इस सम्बन्ध में जारी विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।
24. ठेकेदार उक्त अनुबंध के अन्तर्गत लागू सभी नियमों, विनियमों और प्रावधानों का पालन करेगा और आवश्यकता को पूरा करेगा और केन्द्र/राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों, प्रावधानों से बाध्य होगा।
25. ठेकेदार/संविदाधारक द्वारा श्रम कानून सहित सभी लागू कानूनों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27. ठेकेदार/संविदाधारक को भारत सरकार/राज्य सरकार/समक्ष प्राधिकारी द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों/आदेशों का पालन करना होगा।


 (विवेक सिंह)
 (Vivek Singh)
 मुख्य अधिशासी अधिकारी
 Chief Executive Officer
 बरेली छावनी परिषद
 Bareilly Cantonment Board